न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. 01/2018

प्रार्थी–
लालाराम रेंताराम जाति सुथार
निवासी बायतु पनजी (लीलाला) व
बायतु भोपजी तहसील बायतु
जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. सरपंच, ग्राम पंचायत बायतु भोपजी
2. रेखाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट
निवासी ग्राम बायतु भोपजी तहसील
बायतु जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम पट्टा सं. 68 जो मिसल सं. 23/2012–13 के द्वारा दिनांक 09.01.2013 सरपंच, ग्राम पंचायत बायतु भोपजी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 रेखाराम के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 17/02/2020

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आवंटन विलेख सं. 68 दिनांक 09.01.2013 को निरस्त करने का निवेदन किया गया हैं।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 रेखाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी बायतु भोपजी ने अप्रार्थी सं. 1 सरपंच, ग्राम पंचायत बायतु भोपजी के समक्ष प्रार्थना पत्र मय नक्शा प्रस्तुत कर ग्राम बायतु भोपजी में आबादी भूमि पर अपने पुराने कब्जा सुद प्लाट का विनियमितिकरण करवाकर पट्टा प्राप्त करने हेतु निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत बायतु भोपजी द्वारा पत्रावली संधारित कर आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक दिनांक 20.11.2012 में प्रस्ताव सं. 4 के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को विक्रय विलेख जारी करने का अस्थाई निर्णय लिया गया। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा ग्राम पंचायत के निर्णय के अनुसार में निर्धारित शुल्क 200 रूपये जमा करवाये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख सं. 68 दिनांक 05.01.2013 नियम 157(1) राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे आबादी भूमि मे से माप 2538 वर्गफुट का जारी कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी इस आवंटन के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया तथा निगरानीधीन रेकर्ड मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना किये बिना जारी किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थी सं. 1 को इस बात की जानकारी होते हुए कि विवादित भूखण्ड से सम्बन्धित सिविल न्यायालय (क0ख0) बाड़मेर द्वारा दीवानी विविध सं. 08/2009 अनवान लालाराम बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत बायतु भोजपी व अन्य में प्रार्थी के पक्ष में अंतरीम स्थगन जारी किया गया है तथा इस स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। ग्राम बायतु भोपजी के प्रार्थी के पिता के समय से पिछले 52 वर्षों से पुश्तैनी कब्जा स्थापित हैं तथा अप्रार्थी सं. 2 प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर आलौच्य पट्टा विलेख जारी किया गया हैं। प्रार्थी ने अपने कब्जाशुदा आवासीय भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु वर्ष 1972–73 में ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को दिनांक 08.10.1973 को लिखित नोटिस जारी कर कुल 8500 वर्गफुट के प्रति वर्गफुट 6 पैसे के हिसाब से 510/– रूपये जमा कराने के निर्देश दिये। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के उक्त नोटिस की पालना में दिनांक 20.10.1973 को रूपये 510/-- जमा करवा कर रसीद सं. 178 प्राप्त की गई। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद अप्रार्थी सं. 1 द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि पट्टा जारी कर देंगे। इसके बावजूद भी अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पट्टा विलेख जारी नहीं किया और वर्तमान सरपंच, आसूराम बैरड़ ने प्रार्थी से द्वेष रखते हुए प्रार्थी के कब्जाशुद परिसर में से 2538 वर्गफुट भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी कर दिया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत आवंटी का पट्टा स्थल की भूमि पर 50 वर्ष से अधिक पुराना रहवासीय कब्जा होना चाहिए, जबकि अप्रार्थी सं. 2 की वर्तमान उम्र 40 वर्ष ही हैं ऐसे में अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पुराने कब्जे व रहवास की उपधारणा ही नहीं की जा सकती हैं और न ही पुरान कब्जा व

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

स्वामित्व संभव हैं। सिविल न्यायालय (क0ख0) बाड़मेर के वाद सं. 10/2009 में प्रार्थी के पक्ष मे निर्णीत करते हुए अप्रार्थीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया हैं कि वादग्रस्त भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल वाद में अंकित किया गया हैं से वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जबरन बेदखल नहीं करें एवं उक्त वादग्रस्त भूखण्ड में वादी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी, बाधा एवं हस्तक्षेप ना करें। इस वाद के विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका कमिश्नर रिपोर्ट में प्रार्थी का कब्जा एवं स्वामित्व स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया हैं, ऐसे में प्रार्थी के कब्जा एवं आधिपत्य की भूमि का अवैध रूप से आलौच्य पट्टा सं. 68 अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी किया गया हैं जो निरस्त करने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी सं. 2 की तलबी हेतु जारी रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 08.10.2018 को तामील होने पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2018 अपने कमान अधिकारी के मार्फत अग्रेषित करते हुए निवेदन किया कि मामलें मे पैरवी हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया जावें। अप्रार्थी सं. 2 को प्रकरण की जानकारी होने एवं पैरवी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी न तो स्वंय उपस्थित हुआ हैं और न ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए है, ऐसे में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में पुराने आवासीय कब्जे को विनियमितिकरण के द्वारा पट्टा विलेख जारी करने का निवेदन किया गया। ग्राम पंचायत बायतु भोपजी की बैठक दिनांक 20.11.2012 के संकल्प संख्या 4 के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे 2538 वर्गफुट भूमि का पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसरण मे पट्टा सं. 68 दिनांक 05.01.2013 जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पत्रावली का संधारण किया गया तथा आवेदित भूखण्ड के मौका निरीक्षण हेतु मौका कमेटी का गठन किया। मौका कमेटी द्वारा निरीक्षण प्रपत्र एवं नजरी नक्शा तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर पंचायत द्वारा सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस दिनांक 20.10.2012 जारी किया गया। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा आवेदित भूखण्ड के मौका कब्जा की जांच हेतु गठित कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण दिनांक 10.10.2012 को किया गया हैं जिसमें उल्लेखित किया हैं कि अप्रार्थी सं. 2 का मौके पर मकान बना हुआ हैं तथा पडौसी ने मौके पर उपस्थित होकर पट्टा विलेख

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

जारी करने में अनापत्ति जाहिर की है जबकि इसी विवादित भूमि का मौका निरीक्षण सिविल न्यायालय के कमिश्नर द्वारा भी किया गया हैं जिसमें उक्त भाग में किसी प्रकार का निर्माण नहीं होकर खाली भूमि दर्शायी हैं। इसके अलावा मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अप्रार्थी सं. 1 के अतिरिक्त किन दो पंचायत सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं कोई नाम इत्यादि विवरण अंकित नहीं है। प्रार्थी का इस निगरानी प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य कथन है कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी पट्टा मे आने वाली भूमि पर उसका कब्जा है जो करीब 52 वर्षो से है। इस सम्बन्ध मे सिविल न्यायालय (क0ख0) बाड़मेर द्वारा नियुक्त मौका कमिशनर से प्राप्त की गई मौका रिपोर्ट मे प्रार्थी का कब्जा होना बताया हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष मे आलौच्य पट्टाधीन भूखण्ड पर कब्जा एवं स्वामित्व साबित करने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा मान्य किया गया साक्ष्य प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई हैं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के परिप्रेक्ष्य मे इस प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा राजस्थान पंचायतीराज निमय, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया, जबकि विवादित भूखण्ड पर कब्जा प्रार्थी का हैं जो अनियमितता की श्रेणी मे आता है, इस आधार पर ग्राम पंचायत बायतु भोपजी की बैठक दिनांक 20.11.2012 के संकल्प सं. 04 एवं उसके अनुसरण मे जारी किया गया पट्टा सं. 68 दिनांक 05.01.2013 तथ्यों की सत्यता की कसौटी पर बहाल रखा जाना विधि सम्मत नही होने से निरस्त योग्य प्रतीत होता हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत बायतु भोपजी द्वारा बैठक दिनांक 20.11.2012 के संकल्प सं. 04 एवं उसके अनुसरण मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी पट्टा सं. 68 दिनांक 05.01.2013 निरस्त किया जाता हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)